Review Of Research
ISSN 2249-894X

Impact Factor : 3.1402(UIF)
Volume - 4 | Issue - 12 | Sept - 2015

दलित महिलायें और मानवाधिकारः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सरोज नैनीवाल
व्याख्याता– समाजशास्त्र
राजकीय महिला महाविद्यालय, झुन्झुनू .

शोधसार

महिला परिवार की धुरी है समाज व्यवस्था के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान इनके बिना अधुरे माने गये है इसके बावजूद महिलाओ की प्रस्थिति हमेशा ही निम्न आँकी गई है ओर दलित महिलाओं की स्थिति तो और भी यातनापूर्ण है।

दलित नारी समाज आज भी अपने मानवाधिकारों के प्रति अनभिज्ञ है और निरन्तर दैहिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक प्रकार से शोषित एवं उत्पीड़न हो रही है। संविधान प्रदत आरक्षण द्वारा दलित महिलाओ का कुछ हिस्सा आग बढ़ा है लेकिन अभी समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा इन्हें अपने मानवाधिकारों के प्रति सचेत होना होगा और इन्हें स्वयं की सशक्त जागरूक व शिक्षित होकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी।

संकेत शब्दः–दलित, मानवाधिकार, जातिवाद, अनुष्ठान, ऑनर किलिंग

प्रस्तावना :

सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में एक बड़ी जनसंख्या उस बहिष्कृत समाज की है, जो आज भी भय, लाचारी, सरकारी भ्रष्टाचार और राजकीय दॉवपेचों के चलते बहिष्कृत जीवन जीने को अभिशप्त हैं।''[1] हांलाकि संविधान में इस दलित समाज को भी बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, परन्तु वास्तविकता इससे कोसो दूर है और भयावह है, दलित समाज की स्थिति सम्मानजनक नहीं है। कमजोर तबके के होने के कारण स्वर्ण द्वारा आसानी से प्रताड़ित किये जाते है। भारतीय जाति आधारित समाज व्यवस्था में दलित स्त्री व पुरूष दोनों ही प्रताड़ित है, लेकिन महिलायें ज्यादा प्रताड़ित है।'' हिन्दु महिला समाज में भी दलित महिला समाज द्विज जातियों के महिला समाज की तुलना में अधिक उत्पीड़ित एवं शोषित हुआ है।''[2]

भारतीय स्वर्णिम व गौरवशाली इतिहास में महिलाओं को भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त था व ''भारत का संविधान भी न केवल स्त्रियों को पुरूषों के बराबर ही पद, सम्मान व अधिकार प्रदान करता है, अपितु एक कदम आगे जाकर स्त्रियों को विशेष दर्जा देते हुये आगे बढ़ाने का प्रयास भी करता है।''[3]

''गौरवशाली इतिहास और कानूनी अधिकारों के बावजूद भारत में आज महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है।[4] दुनिया के सभी देशों में महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा हमेशा से ही होती आई है। दलित महिलाओं की स्थिति तो ओर भी यातानापूर्ण है।

महिलाओं पर जितने भी अत्याचार होते है, चाहे वह उत्पीड़न शोषण हो या हत्या हो सब उसके मानवीय अधिकारों का हनन है और उसके कानून मानवाधिकार के क्षेत्र में आते है। क्योंकि मानवाधिकार समानता का

अधिकार है, जीवन का अधिकार है, इज्जत और स्वाभिमान का अधिकार है और उससे भी कही बढ़कर स्वाधीनता का अधिकार है।''[5]

वर्तमान समय में महिलायें राजनीतिक क्षेत्र में शीर्ष पदों पर आसीन है। सोनिया गांधी, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, आंनदीबेन, ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती। सेना में इन्हें (महिलाओं को) स्थायी कमीशन देने की बात मान ली गई है। लड़ाकू विमान भी अब महिलाओं द्वारा उड़ाये जायेंगे। परन्तु यह भारतीय समाज का एक पहलू है, दूसरा पक्ष यह है, कि महिलायें आज भी घरेलू हिंसा की शिकार है। 'डायन' के नाम पर उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा व दम्भ के कारण 'खाप पंचायते' 'ऑनर किलिंग' करवा रही है, गर्भ में ही शिशु का लिंग जाँचकर कन्या भ्रूणों की कोख में ही हत्या करवा दी जाती है। समाचार पत्रों में महिलाओं से छेड़खानी, मौखिक दुर्वव्यवहार, बलात्कार के बाद हत्या, अश्लील विड़ियों बनाकर उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसी खबरें लगभग प्रत्येक दिन पढ़ने को मिलती है। दलित नारी समाज आज भी अपने मानवाधिकारों के प्रति अनभिज्ञ है और निरन्तर दैहिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक प्रकार से शोषित हो रही है।

इंड़ियन हन्सीट्यूट ऑफ दलित स्टड़िज द्वारा 2 दिसम्बर 2008 में हरियाण के एक गॉव में किये गये अध्ययन में पाया गया कि ''गॉव में दलित सरपंच होने के बावजूद दलित छात्रा को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।''[6]

भारत, यमन, नेपाल, बांग्लादेश व पाकिस्तान देशों में 'दलित महिलाओं की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बनी एक फिल्म दलित वुमन (वी.आर.नॉट अनटचेबल 7 जून 2012) में दिखाया गया है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आज भी दलित महिलायें अछुत होने की त्रासदी झेल रही है। ''आन्ध्रप्रदेश मे गॉव के लोगों द्वारा एक दलित महिला से जबदस्त मारपीट कर यह मनवाया जाता है कि वह एक डायन है और आग लगाकर उसके हाथों को जला दिया। कर्नाटक में दलित महिलाओं ने गॉव के दबंगो से कर्जा लेने को मना करने पर मारपीट का सामना करना पड़ा। बिहार में गॉव के ही मुखिया द्वारा दलित महिला के साथ बलात्कार किया गया। नेपाल में 14 वर्षीय दलित लड़की से उसके स्वयं के परिवारजनों द्वारा ही भरण–पोषण हेतु वेश्यावृति करवाई जाती है, भारत में 'देवदासी' के नाम पर ये महिलाये वेश्यावृति करने हेतु बाध्य है।[7]

दलित महिलाओं को आज भी वर्ग, जाति व लिंग के आधार पर बहुत स्तरों पर हिंसा का सामना करना पड़ता है। भारत में प्रतिवर्ष 20 हजार महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। जिनमें 98 प्रतिशत महिलायें दलित वर्ग की होती है, हजारों की संख्या में दलित पुलिस थानों एवं पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते है। ऐसा कोई वर्ष नहीं गुजरता जब स्वर्णो द्वारा दलितों के दो–चार सामूहिक हत्याकाण्ड न किये जाते हो।''[8]

एन.डी.टी.वी के वरिष्ठ पत्रकार के अनुसार '' जाति के नाम पर शोषण आज भी जारी है, दो गिलास वाली व्यवस्था अब भी है।''[9] सार्वजनिक स्थानों पर दलित समुदाय के व्यक्तियों हेतु अलग गिलास एवं उपभोग में लेने के पश्चात् उन्हें स्वयं ही उन्हें साफ करके रखना होता है, उनके साथ अछुतों जैसा व्यवहार किया जाता है।

दलित बच्चों से स्कूल में भी टॉयलेट साफ करवाये जाते है। कक्षा में उन्हें सबसे पीछे बैठना पड़ता है और भोजन भी वे अन्य बच्चों के साथ बैठकर नही कर सकते।''[10] शैक्षणिक स्थल पर ऐसा भेदभाव विकृत मानसिकता का ही परिणाम है।

वर्तमान में जातिवाद कम होने की बजाय बढ़ा है। बस उसके स्वरूप में परिवर्तन आया है 'मुम्बई के पॉश इलाके में जहाँ उच्च शिक्षित अधिकार वर्ग के व्यक्ति रहते है, वहाँ दलित अफसर के बच्चें के जन्मदिन पर ना तो अन्य बच्चे उसके घर आते है और ना ही उसे अपने घर बुलाते है।''[11] लखनऊ के मालथाने में सब इस्पेक्टर द्वारा दलित महिला से रेप की कोशिश की गई।''[12]

यह घटनायें इस बात की ग्वाह है कि आजादी के लगभग 70 वर्षो के बाद भी अस्पृश्यता के व्यवहार में कमी नहीं आई है। 'जवाहरलाल विश्वविद्यालय में संस्कृत की व्याख्याता डॉ.कौशल पंवार वेबाक होकर दलित (वाल्मिकी) होने के कारण अपने स्वयं के साथ हुये अत्याचारों को बताते हुये कहती है कि आज भी आर्थिक, सामाजिक और उससे भी कहीं ज्यादा मानसिक अत्याचारों का दलितों को सामना करना पड़ता है।''[13]

दलित समाज में महिलाओं का स्थिति का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि ये महिलायें घर एवं घ के बाहर दोनों ही जगह आर्थिक, शारीरिक, मौखिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। परिवार की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के साथ–साथ पशुधन की देखभाल करना, खेतों में जाकर मजदूरी करना, घर के

लिये ईंधन की व्यवस्था करने के बावजूद परिवार में इनकी स्थिति, मानसम्मान पुरूषों की तुलना में लगभग हमेशा ही निम्न रहता है, परिवार के अधिकांश मामलों यहाँ तक की उसके स्वयं से सम्बन्धित मामलों में भी उससे कोई राय सहमति या असहमति नहीं ली जाती है।

पारिवारिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भी उसकी भूमिका नगण्य होती है। वे चाहकर भी अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता या अपने मताधिकार का अपने विचारोनुसार प्रयोग करना दूर की बात है। यहाँ अरूणा आसिफ अली का मत विचारणीय है इनके अनुसार महिला मताधिकार एक आभूषण से अधिक कुछ नहीं है, आभूषण सुरक्षा की मांग करते है और सुरक्षा ना कर पाने पर वह किसी और की सम्पत्ति बन जाते है।''[14] ये महिलायें भी पुरूषों को अपने से श्रेष्ठ, राजनीतिक समझ रखने वाला मानकर तथा साथ ही पारिवारिक संघर्षो को कम रखने हेतु परिवाजनों के कहेनुसार ही मताधिकार का प्रयोग करती है।''

दलित परिवारों में पति पत्नि दोनों के निरक्षर या कम पढ़े लिखे होने के कारण शिक्षा का महत्व नहीं समझते और लड़कियों की शिक्षा प्राप्ति के आमतौर पर खिलाफ होते है, यही कारण कि दलित महिलायें पुरूषों के अनुपात में कम शिक्षित है, वह पुरूष वर्ग द्वारा ही नियंत्रित निर्देशित व संचालित है, इसलिए उसके मानवाधिकारों का हनन होता है, न्यायोचित व्यवहार नही किया जाता है।

महिलाओं का उत्थान केवल संविधान या मात्र कानून बनाने से नहीं होगा वरन् इन्हें स्वयं ही स्वयं के लिए संघर्ष करना होगा, शिक्षा के माध्यम से जागरूक व सचेत होना होगा, तभी यह वर्ग संविधान व कानून द्वारा प्रदत्त लाभ उठा सकता है।

सामाजिक व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु स्त्रियों का बहुत महत्व है, स्त्री के बिना समाज अधूरा है, स्त्री जीवन में बहुत सहयोग व संघर्ष करती है, अतः उसे उसका वास्तविक अधिकार जो हर कार्य में समानता के आधार पर दिया जा सकता है, देना बहुत आवश्यक है।''[15]

सदियों से जन्म से मृत्यु तक ये महिलायें यंत्रणाएं झेल रही है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ''पुरूषों को जन्म देने वाली, उसका पालन–पोषण करने और उनमें संस्कारों का बीजारोपण करने वाली माँ एक भिखारी बन हरवक्त अपना अधिकार मांगती है।''[16] लेकिन अब महिलाओं को बच्चों की परवरिश कायदें से लड़का व लड़की एकसमान मूल्य को लेकर करनी ही होगी ताकि भविष्य में ही सही यह प्रताड़ना थोड़ी बहुत तो कम हो। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा है था कि ''मुझे तुम योग्य माता दो मैं तुम्हें योग्य राष्ट्र दूंगा।

महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। भारत की प्रथम महिला आई.पी.एस. अधिकारी किरण वेदी का मानना है कि महिलायें ही महिलाओं पर अत्याचार का पहला कारण होती है, यदि महिलायें तय कर ले कि जिस घर में महिलायें है वहाँ महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा तो सबकुछ बदल सकता है। अब महिलाओं को स्वयं ही अपने आत्मसम्मान व अधिकार हेतु खड़ा होना होगा।

वर्तमान में दलित महिलाओं का कुछ हिस्सा अम्बेडकर द्वारा संविधान में प्रदत्त आरक्षण द्वारा कुछ आगे बढ़ा है, वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद्, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री भी बनी है, लेकिन आज भी वह 'दहेज की आग' में जलने को विवश है, सुरक्षा व सम्मान के नाम पर 'कोख में ही मारी' जाती है। 'डायन' करार कर निजस्थान से भाग जाने हेतु बाध्य है। झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाये रखने हेतु 'खाप पंचायतों' द्वारा 'मर्डर' दंबगों की इच्छापूर्ति नहीं करने पर मारपीट व बलात्कार, जातिसूचक गालियों से अपमानित करने की घटनायें होती रहती है। आज भी उन्हें मंदिरों (शनी शिणगारेश्वर, उडीसा के रानबाड़ा में काली माँ के मन्दिर में) में प्रवेश हेतु लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो उनके मानवाधिकारों पर प्रश्नचिन्ह लगाती है।

सन्दर्भ सूची

1. जीने का अधिकार ''भारतीय दलित और मानवाधिकार'' डॉ.कृष्ण कुमार स्तू
2. दलित समाज में महिला सशक्तीकरण के यर्थाथ का समाजशास्त्रीय विश्लेषण 'समाज विज्ञान शोध पत्रिका', हर्ष कुमार, डॉ.रीतासिंह पेज–191
3. ''महिला अधिकार और मानव अधिकार ममता महरोत्रा पेज–99
4. महिला अधिकार और मानव अधिकार ममता महरोत्रा पेज–15
5. महिला अधिकार और मानव अधिकार ममता महरोत्रा पेज–31
6. ऑवर जर्नी–हॉऊ वी.नॉव कास्ट 2 दिसम्बर 2008
7. दलित वुमन (वी.आर.नॉव अनटचेबल) 7 जून 2012

8. राजस्थान के दलितों पर बढ़ते अत्याचार 'डॉ.अम्बेड़कर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका वर्ष 3 अंक 03 1995 पेज–10
9. आँखे खोलो इंडिया टी.वी 13 जुलाई 2012
10. सत्यमेव जयते
11. कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका वर्ष 51 अंक 2 सितम्बर 2005 'शिक्षा और दलित महिलायेः बदलता सामाजिक परिदृश्य'' हेमलता शर्मा एवं गीता चौधरी पेज–19
12. समाजविज्ञान शोध पत्रिका 'प्राचीन भारतीय नारी जीवन'' डॉ. विहमेश त्यागी रोहित कुमार अक्टूबर 2011 मार्च 2012 पेज–140
13. महिला अधिकार और मानव अधिकार ममता महरोत्रा पेज 31
14. दलित चेतना के विकास में काशीराम की भूमिका डॉ.डी.आर.यादव समाजविज्ञान शोध पत्रिका अक्टूबर 2011 मार्च 2012 पेज 79